| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज<br>स्थानान्तरण प्रा0पत्र मु0न0 02/2025 उनवानी कुम्हेर सिंह वगैरा बनाम प्रेम व अन्य न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 18.08.2025 | आज यह पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी श्री कुम्हेर सिंह ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी प्रेम बनाम देवीसिंह वगैरा मु0न0 94/2011 व उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट व रिसीवरी को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने यह कथन किया है, कि दिनांक 09.03.2025 को गैरसायला प्रेम प्रतिवादीया द्वारा धमकी दी कि उसके साथ जो भूमाफिया व्यक्ति है उन्होने मुझसे कहा है कि हम तो प्रार्थीगणों के मुकदमें में अदालत से रिसीवर व स्थगन आदेश प्रतिवादिया के हक में पारित करा देंगे हमारी एस.डी.ओ. साहब से बातचीत हो गई है इस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ. साहब से न्याय की आशा नहीं रही है इस लिए प्रार्थीगण को अपने हितों की खातिर उक्त मुकदमा व प्रार्थना पत्र को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरण करना आवश्यक हो गया है बर्ना प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। उक्त परिस्थियों में प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट व रिसीवरी को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की प्रार्थना की है।<br>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्राथीगण की ओर से सुरेश चंद एडवोकेट तथा अप्रार्थीगण की ओर से योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालातनामा पेश किया।<br>अप्रार्थीगण/उनके अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र के सम्बध में कोई लिखित जबाव पेश नही किया गया।<br>उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर न्यायांलय उपखण्डाधिकारी धौलपुर की टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने अपनी टिप्पणी पत्रांक कमांक/कोर्ट/2024/1080 दिनांक 18.06.2025 मे स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है, कि यदि उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तिरत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।<br>हमने उपस्थित दोनों पक्षों के अभिभाषको की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उपखण्डाधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की सहमति जाहिर की।<br>अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी प्रेम बनाम देवीसिंह वगैरा मु0न0 94/2011 व उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 | |

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज)

जिला कलक्टर
धौलपुर

| | | |
|---|---|---|
| | आर टी एक्ट व रिसीवरी को न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में स्थानान्तिरत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपखण्डाधिकारी धौलपुर को निर्देशित किया जाता है, कि वह प्रकरण की मूल पत्रावली को न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ को भिजवावे। उक्त आदेशिका की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ/धौलपुर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(श्रीनिधि बी टी )<br>जिला कलक्टर<br>धौलपुर | |

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)